

भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4929
दिनांक 23 जुलाई, 2019 को उत्तर देने के लिए

नए खाद्य पार्कों की स्थापना

4929. श्री गोपाल जी ठाकुर:

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का दरभंगा सहित बिहार के विभिन्न जिलों में खाद्य पार्क स्थापित करने का विचार है;
- (ख) क्या सरकार दरभंगा जिले के फल और सब्जी उगाने वाले किसानों के उत्थान के लिए कोई ठोस कार्य योजना पर विचार कर रही है; और
- (ग) क्या सरकार का दरभंगा में खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए कोई राष्ट्रीय स्तर का महाविद्यालय या संस्थान स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)**

(क): जी, नहीं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय वर्तमान में फूड पार्क स्कीम का कार्यान्वयन नहीं कर रहा है। हालांकि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक अवसंरचना का सृजन करने हेतु मेगा फूड पार्क स्कीम (एमएफपीएस) का कार्यान्वयन करता रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में मेगा फूड पार्कों की स्थापना स्वयं नहीं करता है परन्तु मेगा फूड पार्क स्कीम के अंतर्गत मेगा फूड पार्कों की स्थापना करने के लिए कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत विशेष प्रयोजन उपाय (एसपीवी) को सहायता देने तथा राज्य सरकार/ राज्य सरकार की कंपनियों/सहकारिताओं को मेगा फूड पार्क स्कीम के अंतर्गत मेगा फूड पार्क स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करता है। मंत्रालय की मेगा फूड पार्क स्कीम के अंतर्गत, प्रस्ताव समय-समय पर अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। वर्तमान में, मंत्रालय ने स्कीम के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कोई ईओआई नहीं मंगाई है तथा आज की तारीख तक, दरभंगा समेत बिहार के किसी जिले में नए मेगा फूड पार्क की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि, मंत्रालय ने बिहार राज्य में मेगा फूड पार्क परियोजना की स्थापना के लिए निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार एक परियोजना को अंतिम अनुमोदन प्रदान किया है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	परियोजना लागत (करोड रुपए)	सैद्धांतिक अनुमोदन की तारीख	अंतिम अनुमोदन की तारीख	अनुमोदित अनुदान की राशि (करोड रुपए)	जारी किए गए अनुदान की राशि (करोड रुपए)	स्थिति
1.	प्रिस्टीन मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड, खगड़िया, बिहार	127.91	21.09.2012	06.08.2014	43.77	24.51	कार्यान्वयनाधीन

(ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने प्रौद्योगिकी आधान/उन्नयन, किसानों को प्रसंस्करणकर्ताओं तथा बाजारों से जोड़ते हुए प्रभावी बैकवर्ड तथा फारवर्ड लिंकेजों के सृजन, शीघ्र खराब होने वाले उत्पादों के लिए प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला तथा परिवहन लॉजिस्टिक्स के सृजन, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के विकास हेतु आधुनिक अवसंरचना के सृजन के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण की क्षमता में अभिवृद्धि करने के उद्देश्य से मई, 2017 में प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) शुरू की है। पीएमकेएसवाई के अंतर्गत मंत्रालय निम्नलिखित स्कीमों- (i) मेगा फूड पार्क; (ii) एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्द्धन अवसंरचना; (iii) खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/ विस्तार; (iv) कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना; (v) बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेज सृजन; (vi) खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना; और (vii) मानव संसाधन एवं संस्थान का कार्यान्वयन कर रहा है। दरभंगा जिले के किसानों तथा कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओज) समेत इच्छुक उद्यमी पीएमकेएसवाई की इन स्कीमों के अंतर्गत, जब कभी अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की जाती है, अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

(ग): जी, नहीं।